FORM NO. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत सहायक कलक्टर एव उपखण्ड अधिकारी बिलाड़ा कैम्प लाम्बा

वादी **बनाम** **प्रतिवादी**

गिरधारी राजस्थान सरकार

किस्म मुकदमा राजस्व वाद संख्या–111/2021

अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान टीनेंसी एक्ट

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर वा तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए
25.10.2021	प्रार्थी गिरधारी पुत्र चौखाराम, भेपाराम पुत्र चौखाराम, मांगूड़ी पुत्री चौखाराम, देवी पुत्री चौखाराम जातियान विश्नोई निवासीगण लाम्बा तहसील बिलाड़ा ने राजस्व शिविर कैम्प लाम्बा में धारा–88 राजस्थान टीनेंसी एक्ट का आवेदन पत्र पेश कर निवेदन किया कि ग्राम लाम्बा तहसील बिलाड़ा की सरहद में स्थित खसरा नम्बर 152 रकबा 3.0661 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1093 रकबा 0.1942 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1697 रकबा 0.3155 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 770 रकबा 0.3721 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 160 रकबा 0.7847 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1751 रकबा 0.5016 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1752 रकबा 0.9951 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1752/1 रकबा 0.4530 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 2073 रकबा 0.2751 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 2094 रकबा 0.4692 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 312 रकबा 1.9982 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1050 रकबा 0.2751 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1062 रकबा 1.9416 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1198 रकबा 3.5596 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 2257 रकबा 1.1892 हैक्टेयर की संयुक्त खातेदारी भूमि आयी हुयी है। उपरोक्त संयुक्त खातेदारी भूमि वादीगण के पिता चौखाराम पुत्र भोमाराम जाति विश्नोई निवासी लाम्बा की है। चौखाराम जी का देहान्त हो गया तथा उनकी पत्नी अणची का भी देहान्त हो चुका है, लेकिन वादीगण के पिता का राजस्व रेकर्ड में चौखाराम पुत्र किशनाराम, छोगाराम पुत्र भोमाराम, चौखाराम पुत्र हरजीराम का नाम दर्ज है, इस कारण वादीगण का फौतेदगी नामान्तरकरण स्वीकृत नहीं हो रहा है। अन्त में निवेदन किया गया कि ग्राम लाम्बा तहसील बिलाड़ा की सरहद में स्थित खसरा नम्बर 152 में दर्ज चौखाराम पुत्र किशनाराम की गलत प्रविष्टि को सुधार किया जावे तथा इसी प्रकार भूमि खसरा नम्बर 1093, 1697, 770 में दर्ज छोगाराम पुत्र भोमाराम की गलत प्रविष्टि को सुधार किया जावें तथा इसी तरह भूमि खसरा नम्बर 160, 1751, 1752, 1752/1, 2073, 2094, 312 में दर्ज गलत नाम छोगाराम पुत्र भोमाराम की गलत पविष्टि को सुधार किया जावें तथा इसी प्रकार भूमि खसरा नम्बर 1098, 2257 में दर्ज गलत नाम चौखाराम पुत्र हरजीराम की गलत प्रविष्टि को सुधार किया जावें तथा वादीगण की खातेदारी की भूमि घोषित की जावें। वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। वादी गिरधारी ने अपने वाद के समर्थन में अपने स्वयं के बयान दर्ज करवाये। वादी ने दस्तावेजी साक्ष्य सबूत के तौर पर वादीगण के आधारकार्ड, जमाबंदी, मृत्यु प्रमाण पत्र छोगाराम, अणची देवी आदि पेश किये है तथा दस्तावेजी साक्ष्य सबूत के तौर पर कार्यालय ग्राम पंचायत लाम्बा द्वारा जारी किया गया विरासत प्रमाण पत्र को पेश किया है। Signature Not Verified Digitally signed by Bhawani Singh Date: 2022.02.25 15:58:04 IST Reason: SelfAttested	

25.10.2021	तहसीलदार बिलाड़ा से उपरोक्त संयुक्त खातेदारी भूमि का जवाब प्रस्तुत करने का आदेश दिया गया, जिसकी पालना में तहसीलदार बिलाड़ा नें जवाब पेश किया, जो जवाब को शामिल पत्रावली कराया गया। वादी के गवाह महीराम, राजूराम, सीतादेवी के बयान कलमबद्ध कराये गये। वादीगण न **मज में** आम से निवेदन कियाा कि हमारे पिता का नाम उपरोक्त संयुक्त खातेदारी भूमि में छोगाराम गलत लिख दिया गया है, गलत प्रविष्टि के कारण हमारा खाता में नाम अंकित नहीं हो रहा है। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। दस्वातेजों का अध्ययन करने से विदित होता है कि ग्राम लाम्बा तहसील बिलाड़ा के खाता संख्या–159 में वादीगण के पिता का नाम चौखाराम पुत्र किशनाराम तथा खाता संख्या–672 में वादीगण के पिता का नाम छोगाराम पुत्र भोमाराम तथा खाता संख्या–167 में वादीगण के पिता का नाम छोगाराम पुत्र भोमाराम तथा खाता संख्या–168 में वादीगण के पिता का नाम छोगाराम पुत्र भोमाराम तथा खाता संख्या–157 में वादीगण के पिता का नाम चौखाराम पुत्र हरजीराम दर्ज कर दिया गया है, जो एक त्रुटीवश रेकर्ड में दर्ज है जिसके कारण वादीगण को उसके पिता का फौतेदगी नामान्तरकरण स्वीकृत नहीं हो रहा है। इस कारण वादीगण का वाद स्वीकार कर डिक्री किये जाने योग्य है। अतः ग्राम लाम्बा तहसील बिलाड़ा की खसरा नम्बर 152 रकबा 3.0661 हैक्टेयर की संयुक्त खातेदारी भूमि मे चौखाराम पुत्र भोमाराम तथा खसरा नम्बर 1093 रकबा 0.1942 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1697 रकबा 0.3155 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 770 रकबा 0.3721 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 160 रकबा 0.7847 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1751 रकबा 0.5016 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1752 रकबा 0.9951 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1752/1 रकबा 0.4530 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 2073 रकबा 0.2751 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 2094 रकबा 0.4692 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 312 रकबा 1.9982 हैक्टेयर की संयुक्त खातेदारी भूमि में छोगाराम पुत्र भोमाराम तथा खसरा नम्बर 1050 रकबा 0.2751 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1062 रकबा 1.9416 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1198 रकबा 3.5596 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 2257 रकबा 1.1892 हैक्टेयर की संयुक्त खातेदारी भूमि में चौखाराम पुत्र भोमाराम के स्थान पर वादीगण गिरधारी, भेंपाराम पिसरान चौखाराम, मांगूडी पुत्री चौखाराम, देवी पुत्री चौखाराम की खातेदारी काश्तकारी की घोषित की जाती है। उक्तानुसार तहसीलदार बिलाड़ा राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद करे। इसी माफिक निर्णय का डिक्री पर्चा जारी हों, पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हों। निर्णय प्रशासन गांव के संग अभियान कैम्प ग्राम लाम्बा में खुले में सुनाया गया। उपखण्ड अधिकारी बिलाड़ा	

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhawani Singh
Date: 2022.02.25 15:58:04 IST
Reason: SelfAttested

अन्तिम डिक्री व मुकदमे इब्तदाई
(आर्डर 21 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बिलाड़ा कैम्प लाम्बा

व इजलास भवानी सिंह, आर.ए.एस.

वादी	**बनाम**	**प्रतिवादी**
01 गिरधारी पुत्र चौखाराम 02 भेंपाराम पुत्र चौखाराम 03 मांगुडी पुत्री चौखाराम 04 देवी पुत्री चौखाराम जातियान विश्नोई निवासीगण लाम्बा तहसील बिलाड़ा		राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बिलाड़ा

दावा अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान टीनेंसी एक्ट

राजस्व वाद संख्या :– 111/2021

निर्णय **दिनांक** :– 25.10.2021

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल तई रूबरू हमारे व हाजरी वादीगण स्वयं मिनजानिब मुददई प्रतिवादी संख्या 1 सरकारी पैरोकार मिनजानिब मुददायलाह पे"ा होकर हुक्म दिया जाता है कि ग्राम लाम्बा तहसील बिलाड़ा की खसरा नम्बर 152 रकबा 3.0661 हैक्टेयर की संयुक्त खातेदारी भूमि में चौखाराम पुत्र भोमाराम तथा खसरा नम्बर 1093 रकबा 0.1942 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1697 रकबा 0.3155 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 770 रकबा 0.3721 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 160 रकबा 0.7847 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1751 रकबा 0.5016 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1752 रकबा 0.9951 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1752/1 रकबा 0.4530 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 2073 रकबा 0.2751 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 2094 रकबा 0.4692 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 312 रकबा 1.9982 हैक्टेयर की संयुक्त खातेदारी भूमि में छोगाराम पुत्र भोमाराम तथा खसरा नम्बर 1050 रकबा 0.2751 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1062 रकबा 1.9416 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1198 रकबा 3.5596 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 2257 रकबा 1.1892 हैक्टेयर की संयुक्त खातेदारी भूमि में चौखाराम पुत्र भोमाराम के स्थान पर वादीगण गिरधारी, भेंपाराम पिसरान चौखाराम, मांगूडी पुत्री चौखाराम, देवी पुत्री चौखाराम की खातेदारी काश्तकारी की घोषित की जाती है। उक्तानुसार तहसीलदार बिलाड़ा राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद करे। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करेंगे।

(भवानी सिंह)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

तीज – मुबलिग – बाबत् –

खर्चा इस मुकद्दमे के मय व शरह – सालाना आज की तारीख में तारीख वसूलयाबी तक – की अदा करें। बवक्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 25.10.2021 को जारी की गई।

मुदायराह	रूपया	पैसे	मुदायराह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			वजह सबूत महनताना वकील		
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
फीस कमि"नर			फीस कमि"नर		
बाबत् इजराज हुक्मनामा			बाबत् हुराय हुक्मनामा		
मुतफरिक			मुतफरिक		
			दर0 तलबाना		
मीजान			मीजान		

नोट :–इस वर्ष के फार्म पर कुल खर्चा हाजरी हर दो फरीकेन का, चाहे डिकरे के जरिये दिलाया गया हो, या नही, दर्ज करना चाहिये।

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhawani Singh
Date: 2022.02.25 15:58:04 IST
Reason: SelfAttested

(भवानी सिंह)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा